

फर्द अहमकाम




प्रिया वगै०

बनाम

हनुमान वगै०

न्यायालय का नाम-सहायक कलेक्टर सांभरलेक

केस सं० 142/25

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21.11.2025	<p>वकील श्री रवि वर्मा ने वाद पत्र घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्टें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की रजिस्टर्ड ए०डी० से तलबी होकर पत्रावली दिनांक 18.12.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलेक्टर सांभर लेक (जयपुर)</p> <p>16/12/2025 पत्रावली का हर्दी। PO सा दोरे पर बन्दारे हुए है। पत्रावली पूर्वी आदेशानुसार दिनांक 22/12/25 को पेश हो।</p> <p>22/12/25 पत्रावली पेश हुई। उच्च पक्ष उप०। वादीया इस विद्दी प्राप्तिया पत्र पेश किया। विद्दी प्राप्तिया पत्र को बाद पत्रावली का रबीकार क्रिये जाते से प्रतीत होलाही वादिमा रूपते वाद को पलात्रे का इच्छुक ना होने से वादिमा का पत्र विद्दी प्राप्तिया पत्र के आधार पर थारिक क्रिया जात है। पत्रावली के सब सुकार कोलट एपे संके कर कोलट शामिल प्रमाण है।</p> <p style="text-align: center;"> 22/12/25 सहायक कलेक्टर सांभर लेक (जयपुर)</p>	<p>माया  Hishant एजन्स, एलएल admtty Pahy Adm</p>